



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239430
CG-DL-E-07102022-239430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/ आश्विन 14, 1944

No. 487]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

सं. सीईए-पी-एस-13-17(23)/5/2022-पीएसपीएम डिवीजन.—जबकि मेसर्स गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 138, अंसल चेम्बर्स - II, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली - 110066 है, ने पारेषण योजना "गडग (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना - भाग ए" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. सीईए/पीएस-11-21/1/2021-पीएसपीएम-डिवीजन-पार्ट (1) 1/19023/2021/317-318 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा पारेषण योजना "गडग (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना - भाग ए" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए मेसर्स गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 17.04.2022 (द न्यू संडे एक्सप्रेस (अंग्रेजी में); बेलागवी और हुबली संस्करण, दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में); बेंगलुरु संस्करण और संयुक्त कर्नाटक (कन्नड़ में); बागलकोट, हुबली और कलबुर्गी संस्करण) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 07 से 13. 05.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 13.07.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "गडग (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना - भाग ए" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन है:

● 400kV डी/सी ट्विन एचटीएलएस गडग पीएस - नरेंद्र (नई) ट्रांसमिशन लाइन

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

क्रम सं.	गांवों का नाम	तहसील	जिला
1	तलेवाड़, कुडगी, कुडगी टांडा, तेलगी, कवलगी	कोल्हारा	विजयापुर (बीजापुर)
2	मन्नूर, उप्पलदिन्नी टांडा, बसवाना बगेवाडी, मुत्तगी, टक्कलाकी, नगवाडा, हैंगरगी	बसवाना बगेवाडी	विजयापुर (बीजापुर)
3	मसुति, गोलासंगी, अंगदगेरी, बुदनी, मुकर्तिहल, विरालदिनी, हुंसिहाल, सिकलवाडी, चिम्मालगी, अकालवादी, मरदगी टांडा, उन्नीभवी, गुडादिनी, वंडल (वंडल), वंडल आर एस, हेब्बल, अब्बिहाल, किरसाल, निदगुंडी, देवलापुर, अलमट्टी, जिरलंभावी, मारीमट्टी, मुद्दापुर, हल्लूर, अरलदिनी, गोनल (गोनल आरसी), बेनाल, वडावदगी, काशीनाकुंति, यालागुर, बालाबत्ती	निदगुंडी	विजयापुर (बीजापुर)
4	सीतीमणि, रामपुर, तिम्मापुर, गुलबल टांडा, मनकानी, मनिहल्ली, होसुर, नागसंपीगी, नागरल, मुदाविन कोप्पा, बोडनई कादिनी, नयनेगली, चितकीनाकोप्पा, बदनाइकदिन्नी, बिल्करूर, संगपुर, बेवूर, हल्लूर, भैरमट्टी, चावडापुर	बागलकोट	बागलकोट
5	कादिवल, मुगनूर, बुदिहाल, चिक्कामागी, अंबलिकोप्पा, बसवनल, बसरकट्टी, हायर मागी, बेविनाल, इंगल्ली, सुरलीकल, कामतगी, रामथल, हुवीनाहल्ली, मुल्लूर, कल्लिगुड्डा, निंबालगुंडी	हुनगुंद	बागलकोट
6	पदंकट्टी, इंजनवरी, हल्लदुर, बुदनगड, ऐवल्ली, अल्लूर, सब्बलुनाशी, लयदागुंडी, कोटनल्ली, चिमालगी, मंगलगुड्डा, कटापुर, रंगसमुद्रा, पट्टाडकल, असंगी, कटगिनहल्ली, नगरहाल	गुलेदागुड्डा	बागलकोट
7	कुनीबेंची, क्यादिगेरी, चिलापुर, बेनकानवरी, सिद्धानकोला, उपनाल, केलूर, गुडुर, चिकनाल, भीमंगड	इलकल	बागलकोट
8	नस्सुन्नी, अनंतगिरी, मल्लापुर, गिदनाइकनहाल, होसुर	बादामी	बागलकोट
9	मितलाकोड, वंकनदुर्ग, बोम्मनहाल, बसापुर, अचनूर, निलोगल, तुगलडोनी, शदालागेरी, बेलेकल, मसाबीना कुरुबिनाहल, निरालाकोप, हनुमानहाल, देवलपुर, रंगपुर, कोडतगेरी, कादिवाल, पातालचिन्ती, मालगट्टी	कुष्टगी	कोप्पल
10	प्यति, संतागेरी, मुशिगेरी, नल्लूर, बोम्मासागर, गुलागुली, अमरगट्टी, नागेंद्रगड, कलिनगनूर	गजेंद्रगड	गडग

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, "मेसर्स गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड" को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- (vi) "मेसर्स गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड" को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./307/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 16th September, 2022

F.No. CEA-PS-13-17(23)/5/2022-PSPM Division.—Whereas M/s Gadag Transmission Ltd., the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, Delhi – 110066 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Transmission Scheme for Solar Energy Zone in Gadag (2500 MW), Karnataka - Part A".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No. CEA/PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division –Part (1) 1/19023/2021/317-318 dated 02.12.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Gadag Transmission Ltd for the overhead lines covered under the transmission scheme "Transmission Scheme for Solar Energy Zone in Gadag (2500 MW), Karnataka - Part A".

M/s Gadag Transmission Ltd has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 17.04.2022 ((The New Sunday Express (in English), Belagavi and Hubballi editions; Dakshin Bharat Rashtamat (in Hindi), Bangaluru edition; Samyukhta Karnataka (in Kannada), Bagalkot, Hubballi and Kalaburagi editions)) and in Weekly Gazette of India dated 07 to 13. 05.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Gadag Transmission Ltd has submitted an affidavit dated 13.07.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission Scheme for Solar Energy Zone in Gadag (2500 MW), Karnataka - Part A". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

- 400kV D/c Twin HTLS Gadag PS – Narendra (New) Transmission line

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

Sl. No.	Village Name	Tehsil	District
1	Talewad, Kudgi, Kudgi Tanda, Telgi, Kavalagi	Kolhara	Vijayapura (Bijapur)
2	Mannur, Uppaldinni Tanda, Basavana Bagewadi, Muttagi, Takkalaki, Nagavada, Hangargi	Basavana Bagewadi	Vijayapura (Bijapur)
3	Masuti, Golsangi, Angadgeri, Budni, Mukartihal, Biralinni, Hunsihal, Sikavadi, Chimmalgi, Akavadi, Maradgi Tanda, Unnibhavi, Gudadinni, Vandal (Wandal), Vandal RS, Hebbal, Abbihal, Kirsal, Nidgundi, Devlapur, Almati, Jiralbhavi, Marimatti, Muddapur, Hullur, Araldinni, Gonal (Gonal R.C), Benal, Vadavadi, Kashinakunti, Yalagur, Balabatti	Nidgundi	Vijayapura (Bijapur)
4	Sitimani, Rampur, Timmapur, Gulbal Tanda, Mankani, Manihalli, Hosur, Nagasampigi, Nagaral, Mudavinakoppa, Bodnaikdinn, Naynegali, Chitkinakoppa, Badnaikdinni, Bilkerur, Sangapur, Bevir, Hallur,	Bagalkot	Bagalkote

Sl. No.	Village Name	Tehsil	District
	Bhairmatti, Chavadapur		
5	Kadival, Muganur, Budihal, Chikka Magi, Ambalikoppa, Basavanal, Basarikatti, Hire Magi, Bevinall, Ingalgi, Suralikal, Kamatagi, Ramthal, Huvinahalli, Mullur, Kalligudda, Nimbalgundi	Hungund	Bagalkote
6	Padankatti, Injanvari, Halladur, Budangad, Aivalli, Allur, Sabbalhunashi, Layadagundi, Kotnalli, Chimalgi, Mangalagudda, Katapur, Rangasamudra, Pattadkal, Asangi, Kataginahalli, Nagarhal	Guledagudda	Bagalkote
7	Kunibenchi, Kyadiggeri, Chilapur, Benkanvari, Siddankolla, Upnal, Kelur, Gudur, Chiknal, Bhimangad	Ilkal	Bagalkote
8	Nasgunni, Anantagiri, Mallapur, Gidnaikanhal, Hosur	Badami	Bagalkote
9	Mitlakod, Vankandurg, Bommanhal, Basapur, Achnur, Nilogal, Tuggaldoni, Shadalageri, Belekall, Masabina Kurubinahal, Niralakop, Hanumanhal, Devalapur, Rangapur, Kodatgeri, Kadival, PatlaChinti, Malgatti	Kushtagi	Koppal
10	Pyati, Santageri, Mushigeri, Nallur, Bommasagar, Gulaguli, Amaragatti, Nagendragarh, Kallinganur	Gajendragad	Gadag

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Gadag Transmission Ltd for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s. Gadag Transmission Ltd shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./307/2022-23]